

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड़

कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनिस्ट्रिवालय, झालावाड़ - 326001

Email - ame.jhalawar@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

क्रमांक : सखअ/झाला/निविदा/2019-20/ 7429

दिनांक : 11-11-2019

नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन 01/2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग अभियान के दौरान जप्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रुपये 1000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (दोपहर 3:00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ से प्राप्त किये जा सकते हैं।

संबंधित थाना क्षेत्रों में जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (सांयकाल 3:00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

भवदीय

(राजेन्द्र भट्ट)

सहायक खनि अभियन्ता,

झालावाड़

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झालावाड

कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड - 326001

Email - ame.jhalawar@rajasthan.gov.in

Tel No. 07432-232414

क्रमांक : सखअ/झाला/निविदा/2019-20/7430

दिनांक : 14-11-2019

नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन 01/2019

झालावाड जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरा जब्त शुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में देर दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (सायंकाल 5:00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड, कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड में आमन्त्रित की जाती हैं। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नं. 156 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	स्थान का नाम जहाँ जप्त बजरी स्टॉक पड़ा हुआ है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टन में)	बोली की अमानत राशि	न्यूनतम बोली राशि (रुपये)	बजरी निस्तारण हेतु न्यायालय के आदेश की दिनांक
1	(1) ग्राम भिलवाड़ी घोरहे से कनवाड़ा रोड के बाई ओर। एफआईआर नं. 143/2019 पुलिस थाना सदर, झालावाड	1958.92	78359/-	783568/-	25.07.2019
	(2) ग्राम भिलवाड़ी भावाईल टावर के पास एफआईआर नं. 143/2019 पुलिस थाना सदर, झालावाड	302.4	12096/-	120960/-	25.07.2019
2.	(1) एलआईसी ऑफिस के पीछे कोटा रोड, झालावाड। एफआईआर नं. 396/2019 पुलिस कोतवाली, झालावाड	110.00	4400/-	44000/-	08.08.2019
	(2) गांवडी तालाब के पास, भवानीमण्डी रोड मीनाक्षी चन्द्रावत के पेट्रोल पम्प के पास झालावाड। एफआईआर नं. 307/2019 पुलिस कोतवाली, झालावाड	190.00	7600/-	76000/-	08.08.2019
	(3) इम्मानुएल रोड के पास भवानीमण्डी रोड झालावाड। एफआईआर नं. 303/2019 पुलिस कोतवाली, झालावाड	370.00	16000/-	160000/-	08.08.2019
3.	(1) ग्राम भिलवाड़ी पर समगंजमण्डी सड़क पर। एफआईआर नं. 263/2019 सदर पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला झालावाड	3594.50	143380/-	1433800/-	27.09.2019
	(2) ग्राम नेरावद में मली के पेड़ के पास। एफआईआर नं. 263/2019 सदर पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला झालावाड	702.00	28080/-	280800/-	27.09.2019
	(3) ग्राम पिपलिया बरसाहा तौल कटे के पास। एफआईआर नं. 263/2019 सदर पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला झालावाड	404.60	16192/-	161920/-	27.09.2019

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी -

1. निविदा शीलबन्ध जमागण्ड में प्रस्तुत करनी हार्गी। काफ़े पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पंटी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदा कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि-निविदावाला, झालावाड़ पर रखे ड्राफ्ट बॉक्स में दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (सांयकाल 5:00 बजे) तक जाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा का साथ ड्राफ्ट वाणितानुसार यथागत/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बकस चक जा कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ के पास हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदा दाता अलग-अलग थाना परिसर/पुलिस चौकी की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो ड्राफ्ट/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदार/कम्पनी, के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी का गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संबंधित थाना परिसर में की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी थाना परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जायेगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदादाता के सम्मक्ष कार्यालय के कमरा नं. 156 में खोली जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 05 एवं अधिकतम 06 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठानेकी कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एंजिन्स प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि को प्राप्ति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यानामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निर्देशकों की सूची इत्यादि की प्राप्ति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को जमाकर निविदा के पैन नम्बर को संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को वेगवेग राशि के अलावा एंजिन्स/टेक्स अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय करने निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उच्चा आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ द्वारा वाहन के वनज क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन विना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 05 दिवस सहित अधिकतम 06 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजीयता में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को Whats App पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची, क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी सिक सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन को फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियम समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

हस्ता

(राजेन्द्र भट्ट)

सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड़

क्रमांक : सखअ/झाला/निविदा/2019-20/7422

दिनांक : 14-11-019

प्रतिलिपि निम्न को सूतनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर महोदय, जिला झालावाड़।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, कोटा-जोन कोटा।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, कोटा-वृत्त, कोटा।
6. श्रीमान खनि अभियन्ता महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजमंगमण्डी।
7. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय झालावाड़ को दो स्थानीय अखबार में गिज्ञापन जारी करने हेतु दी जा रही है।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड़/भवानीमण्डी एवं पुलिस कोतवाली झालावाड़।
9. कनिष्ठ लेखक, कार्यालय हाजा।

द/ब
सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड़